न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/79/2024	2024/133	28.11.2024	14.05.2025

1.सरकार जरिये रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी, अलवर।

—प्रार्थी

बनाम

1.श्री हेम सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह, C/o अशोक पुस्तक भण्डार, मालाखेडा, जिला अलवर।

—अप्रार्थी

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने बाबत्।

उपस्थितः—

01. श्री प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि
02. श्री आसिफ — वकील अप्रार्थी

—ःनिर्णयः—

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6—ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 28.10.2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री हेम सिह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह, C/o अशोक पुस्तक भण्डार, मालाखेडा, जिला अलवर की जोधपुर मिष्ठान भण्डार, मालाखेडा जिला अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे।

मौके पर श्री हेम सिह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह, C/o अशोक पुस्तक भण्डार, मालाखेडा, जिला अलवर उपस्थित मिले। श्री हेम सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह की दुकान पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री हेम सिह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री हेम सिह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है।

उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० ओमशिव इंडेन, मालाखेडा, जिला अलवर के प्रतिनिधि श्री रामप्रसाद पुत्र श्री फततुराम, निवासी पथरोडा का बास, बख्तल की चौकी, अलवर, राजस्थान को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 3 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी ने जरिये अभिभाषक अपने जवाब में निवेदन किया कि प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पूर्णतः तथ्यहीन, मनगढ़ंत एवं मिथ्या है, जिसे केवल राजस्थान सरकार द्वारा चलाये गये अभियान की पूर्ति हेतु बनावटी व मनमाने तरीके से तैयार किया गया है। दिनांक 28.10.2024 को प्रवर्तन अधिकारी रणधीर सिंह मेरे प्रतिष्ठान पर आये और विभागीय सर्वे के नाम पर मुझसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवा लिये। मुझे यह नहीं बताया गया कि किस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है और

अ॥ रिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

किस उद्देश्य हेतु हस्ताक्षर लिये जा रहे हैं। मेरे प्रतिष्ठान पर किसी प्रकार के घरेलू गैस सिलेण्डर का न तो अवैध रूप से संग्रहण था और न ही किसी व्यावसायिक उपयोग में कोई घरेलू सिलेण्डर प्रयुक्त हो रहा था। निरीक्षण के दौरान मुझ प्रार्थी को कोई विधिक नोटिस नहीं दिया गया और ना ही मौके पर अपनी बात रखने का उचित अवसर प्रदान किया गया। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो का स्पष्ट उल्लंघन हैं। यह केवल अनुमान पर आधारित हैं कि गैस सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग हो रहा था जबकि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी इस अनुमान की पुष्टि हेतु कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं।

प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संपूर्ण कार्यवाही एकपक्षीय एवं मनमानी है। प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान की पूर्ति करने के लिए गलत तथ्यो पर की गई हैं। जो समस्त कार्यवाही प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय में की गई हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ प्रार्थी को उक्त प्रार्थना पत्र के भार से मुक्त फरमाने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व जवाब/बहस पर मनन किया। प्रार्थी, प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 28.10.2024 को दुकान का निरीक्षण किया गया। दौराने जांच मौके पर अप्रार्थी श्री हेम सिंह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह की दुकान पर 3 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिनका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। अप्रार्थी श्री हेम सिह द्वारा वक्त जांच घरेलू एवं व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी श्री हेम सिह पुत्र श्री पृथ्वीराज सिंह के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी द्वारा नोटिस के जवाब में कोई खास तथ्य पेश नहीं किए गए हैं। प्रार्थना पत्र धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्त किए गये 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अलवर को निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डरों को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें एवं अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि जमा राजकोष कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)